

16/4/24

पहावली वात्ते आदेश पेश इर्षी वार्गी  
वकील की वदत पुनने एवं उपलब्ध  
रिफ्ट का अवलोकन करने पर जयना-पु  
अन्तर्गत धारा - 128 सू-राज्य अधिनियम  
चीकार किया जाता है।

विलुप्त आदेश निर्या  
पुष्क ले सिखवाया जाकर इस आदेश  
का अभिन्न भाग रहेगा।

पहावली फौजदार  
दोकर दर्ज नम्बर ले रूम हो।

36  
उपपुष्क अधि  
उपपुष्क, वाकसू (जयपुर)